

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज.)

क्रमांक :- रीडर/2024/39

दिनांक :- 20/8/24

-: संशोधित कार्यालय आदेश :-

मैं नम्रता पार्श्व, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपटित धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक रीडर/2024/31 दिनांक 26.07.2024 में अपरिहार्य कारणों से आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 24.08.2024 व दिनांक 25.08.2024 और दिनांक 26.08.2024 व दिनांक 27.08.2024 तक निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में अंकित अवकाश के दिन धौलपुर जिला की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड ड्यूटी, धारा 164 द.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से संबंधित मामलों की सुनवाई कॉलम संख्या 3 में न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी करेंगे, शेष आदेश यथावत रहेगा।


क्र.सं.	दिनांक अवकाश	मजिस्ट्रेट न्यायालय धौलपुर न्याय क्षेत्र	पीठासीन अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर
1.	24.08.2024 व 25.08.2024	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेडा	श्रीमती नोतू मो. नं. 8107149275
2	26.08.2024 व 27.08.2024	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर	श्री आयुष गुप्ता 9911281892

नोट:-

(1) अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 11:00 बजे से सांय 02:00 बजे तक रहेगा। उक्त दिनांक के राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य के लिये अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में बैठने के समय के अतिरिक्त भी उक्त दिनांक के साथ-साथ आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) निर्धारित समय में आवश्यक फौजदारी कार्य के प्रार्थनापत्र अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश न करने एवं अधिकृत अधिकारी के निवास पर मुल्जिमों को पेश करने पर सम्बन्धित पुलिस कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिमों को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न करवा कर बाहर रखा जावे एवं संबंधित अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)


कम्प्यूटर रूम DLK

क्रमांक: रीडर/2024/ 589

दिनांक: 20/08/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर ।
2. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।
3. श्री आयुष गुप्ता, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
4. श्रीमती नीतू, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा जिला धौलपुर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक/जिला जेल/पुलिस कन्ट्रोल रूम, धौलपुर।
6. कम्प्यूटर सर्वर रूम धौलपुर को अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज)